



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 1992/माघ 30, 1913

No. 78] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 1992/MAGHA 30, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विशेष मंत्रालय

(सी पी वी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1992

सा. का. नि. 111 (अ):-पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24(1967 का 15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है यानी :-

- (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1992 कहा जाएगा।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची -1 में क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित होंगी।

1	2	3
6(i)	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कोचीन क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन	हरणाकलम, मल्लेषी कोट्टायम, त्रिचूर, इदुकी, पालघाट के जिले और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन),	--वही--
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन)	--वही--
	(घ) अधीक्षक, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन)	--वही--
6(ii)	(क) पासपोर्ट अधिकारी, कोजीकोड (पासपोर्ट कार्यालय, कोजीकोड)	केरल राज्य में कन्नोर कोजीकोड, मालापूरम जिले और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी में माहू जिला

1	2	3
	(ब) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, कोचीकोड)	--वही--
	(ग) अधीक्षक, (पासपोर्ट कार्यालय, कोचीकोड)	--वही--
6 (iii)	(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, त्रिवेन्द्रम)	त्रिवेन्द्रम, क्वीलेन, पाथनाथित्ता जिले
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, (पासपोर्ट कार्यालय, त्रिवेन्द्रम)	--वही--
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, (पासपोर्ट कार्यालय, त्रिवेन्द्रम)	--वही--
	(घ) अधीक्षक, (पासपोर्ट कार्यालय, त्रिवेन्द्रम)	--वही--

[सं. V-IV/553/1/91/सी पी ओ 2/92]

एम. पी. सिंह, अवर सचिव

नोट :- अधिसूचना सं. का. नि. 691 (ई) दिनांक 11
दिसम्बर, 1980 भारत के असाधारण राजपत्र, 1980 भाग-II
खण्ड - 3 उपखण्ड (i) द्वारा प्रकाशित मुख्य नियम।
तदन्तर संशोधन :-

- (i) अधिसूचना सा. का. नि. 50 (ई) दिनांक 7-1-1981
- (ii) अधिसूचना सा. का. नि. 469 (ई) दिनांक 2-6-1982
- (iii) अधिसूचना सा. का. नि. 325 (ई) दिनांक 12-4-1983
- (iv) अधिसूचना सा. का. नि. 494 दिनांक 16-6-1983
- (v) अधिसूचना सा. का. नि. 345 (ई) दिनांक 29-3-1985
- (vi) अधिसूचना सा. का. नि. 860 (ई) दिनांक 1-11-1985
- (vii) अधिसूचना सा. का. नि. 857 (ई) दिनांक 15-10-1987
- (viii) अधिसूचना सा. का. नि. 84 (ई) दिनांक 11-2-1988
- (ix) अधिसूचना सा. का. नि. 1155 (ई) दिनांक 8-12-1988
- (x) अधिसूचना सा. का. नि. 622 (ई) दिनांक 27-6-1990
- (xi) अधिसूचना सा. का. नि. 653 (ई) दिनांक 20-7-1990
- (xii) अधिसूचना सा. का. नि. — दिनांक —
- (xiii) अधिसूचना सा. का. न. अभी राजपत्र में प्रकाशित होना है।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV-Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1992

G.S.R. 111(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980 namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1992.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Passports Rules, 1980 for serial No. 6 and entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
6(i)	(a) Regional Passport Officer, Cochin (Regional Passport Office, Cochin)	The Districts of Ernakulam, Alleppey, Kottayam, Trichur, Idukki, Palghat and U.T.I. Lakshdweep.
	(b) Assistant Passport Officer (Regional Passport Office, Cochin)	-do-
	(c) Public Relations Officer (Regional Passport Office, Cochin)	-do-
	(d) Superintendent, (Regional Passport Office, Cochin)	-do-
6 (ii)	(a) The Passport Officer, Kozhikode (Passport Office, Kozhikode)	The Districts of Cannanore, Kozhikode, Malapuram in the State of Kerala and the district of Mahe in the U.T.I. Pondicherry.
	(b) The Public Relations Officer (Passport Office, Kozhikode)	-do-
	(c) Superintendent, (Passport Office, Kozhikode)	-do-
6(iii)	(a) The Passport Officer (Passport Office, Trivandrum)	The Districts of Trivandrum, Quillon, Pathanamthitta.
	(b) Assistant Passport Officer, (Passport Office, Trivandrum)	-do-

1	2	3	
			(i) Notification GSR 50(E) dated 7-2-1981
			(ii) Notification GSR 469(E) dated 2-6-1982.
	(c) Public Relations Officer, (Passport Office, Trivandrum)	-do-	(iii) Notification GSR 325(E) dated 12-4-1983
	(d) Superintendent (Passport Office, Trivandrum)	-do-	(iv) Notification GSR 494(E) dated 16-6-1983
			(v) Notification GSR 345(E) dated 29-3-1985
			(vi) Notification GSR 860(E) dated 4-11-1985.
			(vii) Notification GSR 857(E) dated 15-10-1987
			(viii) Notification GSR 84(E) dated 11-2-1988
			(ix) Notification GSR 1155(E) dated 8-12-1988
			(x) Notification GSR 622(E) dated 27-6-1990
			(xi) Notification GSR 653(E) dated 20-7-1990
			(xii) Notification GSR ———dated———
			(xiii) Notification yet to be published in the Gazette.

[No. V-IV/553/1/91/CPO/2/92]

M.P. SINGH Under Secy.

Note : Principal rules published videⁿ Notification No. GSR 691(E) dated 11th December, 1980, Gazette of India, 1980 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub section (i) Subsequently amended by :—

